मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतंर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं भूमि संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी के रिक्त सीधी भर्ती–बैकलॉग पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा – 2012

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		17.09.2012
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		17.10.2012
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि		18.10.2012
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि		27.10.2012
परीक्षा दिनांक व दिन		09.12.2012 (रविवार)
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए :–	कोई शुल्क नही
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/– देय होगा।		

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पद हेतु 09.12.2012 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 11:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)
भूमि संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी पद हेतु 09.12.2012 (रविवार)	दोपहर 02:00 बजे से	दोपहर 02:00 बजे से	दोपहर 02:00 से 02:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:10 बजे	दोपहर 02:10 से 02:15 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 02:15 से 04:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतंर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं भूमि संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी के रिक्त सीधी भर्ती–बैकलॉग पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा – 2012

विषय–सूची

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय–1 – संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के विभागीय चयन नियम	3–9
2.	अध्याय–2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	10–16
3.	अध्याय–3 – लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम	17–18
4.	प्रारूप–1 – प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	19
5.	प्रारूप–2 – आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	20

अध्याय–1

विभागीय चयन नियम

1.1 चयन संबंधी अनुदेश :

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक अ–2–7/स्था/वि.भ./2012/2164–ए के अनुसार संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कुल 904 एवं भूमि संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी के कुल 131 पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2012 के लिए आवेदन कर रहे सभी अभ्यर्थियों पर यह नियम/निर्देश लागू होंगे। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषाएँ :–

''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति,मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमे का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

''भर्ती का वर्ष'' से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि ,जिसके भीतर ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

''भूतपूर्व सैनिको से अभिप्रेत है'' ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक'' (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) मे कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और–

(1) जिसे स्वंय के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है,या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिर्जव में अंतरित किया गया है, या

(2) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिये करनी पडी हो,

(3) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात स्वंय के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो ।

''मंडल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।

''विभाग'' से अभिप्रेत है वह कार्यालय/विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

1.3 रिक्त पदों की तालिका :–

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के सीधी भर्ती–बैकलॉग पदो का विवरणः–

स.क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूर्तपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
01	अनुसूचित जाति	48	20	04	01	06	02	81
02	अनुसूचित जनजाति	484	208	34	15	57	25	823
	योगः–	532	228	38	16	63	27	904

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के विकलांग पदों का विकलांगतावार आरक्षण विवरण निम्नानुसार हैः–

स.क्र.	श्रेणी	ओपन				महिला			
		अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग
01	अनुसूचित जाति	02	01	01	04	01	00	00	01
02	अनुसूचित जनजाति	12	11	11	34	05	05	05	15

भूमि संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी के सीधी भर्ती–बैकलॉग पदो का विवरणः–

स.क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूर्तपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
01	अनुसूचित जनजाति	77	33	05	03	09	04	131
	योगः–	77	33	05	03	09	04	131

भूमि संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी के विकलांग पदों का विकलांगतावार आरक्षण विवरण निम्नानुसार हैः–

स.क्र.	श्रेणी	ओपन				महिला			
		अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग
01	अनुसूचित जनजाति	02	02	01	05	01	01	01	03

1.4 पदनाम, वेतनबैंड + ग्रेडपे तथा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :–

स.क्रं.	पदनाम व वेतनबैंड + ग्रेडपे	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
1.	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 5200–20200+गेड पे 2400	कृषि स्नातक
2.	भूमि संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी 5200–20200+ग्रेड पे 2800	कृषि स्नातक या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक

नोटः– आवेदक के पास अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नही रखेंगें।

1.5 मूल/स्थाई निवासी के संबंध में :–

आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल/स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। नियुक्ति के पूर्व अभिलेखों के सत्यापन के समय सक्षम अधिकारी का मूल/स्थाई निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :–

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के पत्र क्रमांक अ–2–7/स्था/वि.भ./2012/2164–ए के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2013 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी–3–5/2001/3/1, दि. 17.08.2004 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :–

स.क्रं.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	40 वर्ष
2.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	35+5+10=50 वर्ष
3.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+5+10+5=55 वर्ष

1.6.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :–

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18– 85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1.6.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :–

(क) निःशक्तजनों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–सी–3/12/2010/1/3, दिनांक 04.06.2010 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए (05 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए) 45 वर्ष रहेगी।

(ग) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(घ) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन

हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(ड.) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :–शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति–रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345–4005–सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप– (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले

किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट आयु–सीमा में प्रदान की गई अन्य छूटों के अतिरिक्त होगी।

1.7 चयन का आधार :–

उक्त पद पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। मण्डल द्वारा साक्षात्कार/प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का (कुल 100 अंक) व दो घंटे की समयावधि का एक प्रश्न–पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्न–पत्र का पाठ्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :–

1.7.1 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पद हेतुः–

स.क्रं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
अ.	शस्य विज्ञान एवं मृदा विज्ञान	25
ब.	कृषि अर्थशास्त्र एवं विस्तार	25
स.	पौध संरक्षण	20
द.	पादप कार्यिकी एवं प्रजनन	20
ई.	मौसम विज्ञान एवं कृषि अभियांत्रिकी	10
	योगः–	100

1.7.2 भूमि संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी पद हेतुः–

स.क्रं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
अ.	मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान	20
ब.	सामान्य गणित	20
स.	राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न	25
द.	कृषि स्नातक से संबंधित प्रश्न	25
ई.	मौसम विज्ञान एवं कृषि अभियांत्रिकी	10
	कुल प्रश्न :–	100

1.8 प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची :–

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दिए गए विभागों के प्राथमिकताक्रम विकल्प के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य व प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

1.9 पारस्परिक वरीयता :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

1.10 सत्यापन/परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण–पत्रों का विवरण :–

1.10.1 मूल/स्थाई निवासी प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के मूल/स्थाई निवासी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र धारक होना चाहिए।

1.10.2 जाति प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1.10.3 विकलांग प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी विकलांग संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1.10.4 भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण–पत्र :–

भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1.11 दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों का परीक्षण व चरित्र सत्यापन :

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा चयन/ नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा।

विभागों द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

1.12 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हताएँ/जानकारी :–

(क) पररूपण धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपण धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

(ख) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

(ग) ऐसा पुरूष उम्मीदवार जिसने 21 वर्ष की आयु के पूर्व तथा ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, लिखित परीक्षा के लिए अनर्ह माना जायेगा।

(घ) जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

(ड.) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

(च) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(छ) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य न पाया जाये।

(ञ) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।

1.13 नियुक्ति की शर्तें :

चयनित अभ्यर्थियों पर संबंधित विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभागों के नियमानुसार अनुबंध–पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

1.14 यात्रा भत्ता का भुगतान :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता का भुगतान संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा किया जायेगा।

1.15 न्याय क्षेत्र/अधिकार :–

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

————0————

अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
संयुक्त परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :–

2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जायेंगे, जिसमें चाही गई समस्त जानकारियों के साथ आवेदित पद का विकल्प व प्राथमिकताक्रम दर्शाना होगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी व विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी। आवेदक को विभिन्न श्रेणी के एवं विभिन्न स्थानों के पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।

2.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।

2.4 स्क्रूटनी/ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर की स्क्रूटनी की जायेगी। जिन आवेदको द्वारा नियम पुस्तिका में उल्लेखित फोटो एंव हस्ताक्षर के निर्धारित मापदंड के अनुरूप फोटो/हस्ताक्षर उपलब्ध नही करवाये जाते है, फोटो अनुपलब्ध है, हस्ताक्षर अनुपलब्ध है, ऐसे प्रकरणों को स्क्रूटनी उपरांत निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को टेस्ट एडमिट कार्ड जारी नही किये जायेगे। आवेदन पत्र निरस्त की सूचना मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध होगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नही किया जावेगा।

2.5 आवदेन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देशः–

(i) आवदेन पत्र के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला फोटोग्राफ परीक्षा की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

(iv) काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।

(v) जो फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा, वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना होगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ आवेदक को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

(vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लघु हस्ताक्षर नही किये जाने चाहिए।

(viii) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय किये जाने होगें, इसका विशेष ध्यान रखा जाना होगा।

(ix) अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नही किये जाने चाहिए।

(x) ऑनलाईन आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नही होना चाहिए।

(xi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर स्केनिंग उपरांत पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।

2.6 ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधनः–

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

2.6.1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2.6.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू. 100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/निःशक्तजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/निःशक्तजन श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2.6.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर, व्यापम फार्म नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2.6.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

2.7 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल द्वारा नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :– अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र उक्त वेबसाईट से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.8 परीक्षा शहर :–

लिखित परीक्षा केवल भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर शहरों में आयोजित की जावेगी। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर सिर्फ भोपाल शहर परीक्षा आयोजित करवाने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है।

2.9 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

केवल प्रवेश–पत्र एवं काला बॉलप्वाइंट पेन।

2.10 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.11 परीक्षा का प्रश्न–पत्र :–

लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों व दो घंटे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.12 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।
(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.13 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.14 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, प्रश्नों का निरस्तीकरण एवं बदले में प्रदान किये जाने वाले अंक :–

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

   प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

   उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200-2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.15 प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप–1 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

2.16 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :–

(1) मॉडल आंसर्स :– परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रारूप–2 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) फायनल आंसर्स :– प्रारूप 01 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 02 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ''की'' समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। ''की'' समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों सें संबंधित प्रश्नों/उत्तरो के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 2.14 अनुसार ''की'' समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरो के संबंध में कोई विचार नही किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नही हुए है। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगे। ''की'' समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

2.17 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

अध्याय–1 से 3 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (Subject wise Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

3

2.18 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

2.19 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :–

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :–

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :–

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :–

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :–

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2.20 मण्डल का क्षेत्राधिकार :–

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.21 अभिलेखों का संधारण :–

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.22 न्यायिक क्षेत्राधिकार :–

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

———0———

अध्याय – 3

लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

1. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हेतु पाठ्यक्रम

अ. शस्य विज्ञान एवं मृदा विज्ञान :–

1. कृषि जलवायु, क्षेत्र एवं फसलों का भौगोलिक वितरण।

2. भारत एवं मध्यप्रदेश की प्रमुख फसलें, धान्य, दलहनी, गन्ना, रेशे और चारे की फसलों की कृषि कार्यमाला, विभिन्न फसल तंत्र, मिश्रित और उतेरा फसल।

3. मृदा पौधों के विकास हेतु माध्यम के रूप में और इसका संगठन मृदा के खनीज तथा कार्बनिक अवयव और उनका फसल उत्पादन में महत्व, म0प्र0 में भूमि के प्रकार, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं सुक्ष्म जैविक गुण, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व उनका कार्य एवं कमी के लक्षण।

4. उर्वरक एवं उसके प्रकार, जैविक खाद, एकीकृत पौध पोषक तत्व प्रबंधन, अम्लीय, क्षारीय तथा लवणीय भूमि के कारण एवं सुधार के उपाय।

5. भूमि एवं जल प्रबंधन, सिंचाई की विधियॉ, भूमि क्षरण के कारण एवं नियंत्रण के उपाय, वर्षा जल का संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्र विकास, वर्षा आधारित खेती के सिद्धांत।

6. जैविक खेती – महत्व, उपयोगिता, तरीके।

7. कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि, वर्मी कम्पोष्ट।

ब. कृषि अर्थशास्त्र एवं विस्तार :–

1. कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं महत्व, उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रक्षेत्र योजना तथा सावधानी, फसल प्रबंधन, उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनका संबंध, कृषि उत्पादन का विपणन और म0प्र0 में विपणन व्यवस्था, कृषि उत्पाद का मूल्य एवं कृषि विकास में योगदान।

2. कृषि प्रसार के उद्देश्य एवं सिद्धांत, राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर प्रसार संगठन, उसकी संरचना, उत्तरदायित्व, संचार की विधियॉ, कृषक संगठनों का प्रसार सेवा में महत्व।

स. पौध संरक्षण :–

1. मुख्य फसलों को हानि पहुंचाने वाले खरपतवार, रोग एवं कीट, फसल संरक्षण के सिद्धांत, खरपतवार, रोग एवं कीटों का समन्वित प्रबंधन, विभिन्न पौध संरक्षण रसायनों का वर्गीकरण एवं उपयोग।

2. बीज उपचार का महत्व एवं विधियॉ।

द. पादप कार्यिकी एवं प्रजनन :–

1. पौध कार्यिकी के सिद्धांत विशेषतः पौध पोषक तत्वों का अवशोषण, परिसंचरण और उपापचय, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, वृद्धि और विकास, पौध विकास हेतु पौध वृद्धकों (हारमोन्स) के प्रकार एवं उपयोग विधि।

2. फसल विकास में उपयोगी अनुवांशिकी और पौध प्रजनन के तत्व, संकर एवं कंपोजिट जातियों का विकास, प्रमुख फसलों की संकर एवं कंपोजिट जातियॉ, बीज उत्पादन की विधियॉ, उद्देश्य एवं सिद्धांत, बीज अधिनियम तथा बीज उत्पादन की विधियॉ एवं सिद्धांत।

ई. मौसम विज्ञान एवं कृषि अभियांत्रिकी :–

1. मौसम एवं फसलों का संबंध, सूखा (अकाल), बाढ़, ठंडी हवाऍ और पाला के लिये मौसम विज्ञान, बादलों के प्रकार तथा मौसम के पूर्वानुमान का फसल उत्पादन पर प्रभाव।

2. सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं सिद्धांत, कंटूरिंग एवं प्रक्षेत्र विकास, भूमि क्षमता वर्गीकरण, प्रक्षेत्र मशीनें एवं उपकरण, बैल चलित एवं शक्ति चलित कृषि यंत्र, पौध रोपणी तैयार करना, भूमि सुधार, बुआई तथा अंतर शस्य क्रियाओं के लिये तंत्र एवं उपकरण, पौध संरक्षण यंत्र, कटाई तथा गहाई के लिये मशीनें, मशीनें एवं उपकरणों की देखभाल।

3. समस्त फसलों में कटाई उपरांत तकनीकी के सिद्धांत एवं उपकरण, अनाज का सुरक्षित भंडारण।

नोट – विभिन्न समूहों में अधिकतम प्राप्तांक निम्नानुसार होंगे :–

समूह – अ	–	25 अंक
समूह – ब	–	25 अंक
समूह – स	–	20 अंक
समूह – द	–	20 अंक
समूह – ई	–	10 अंक
कुल	–	100 अंक

2. भूमि संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी पद हेतु पाठ्यक्रम :–

अ. मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान – पूर्णांक–20

मध्यप्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारियॉ, प्रमुख अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियॉ, प्रमुख सिंचाई योजनायें, पर्यटन (दुर्ग व किले, प्रमुख महल, पौराणिक दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल, गुफायें, समाधि व मकबरे इत्यादि), मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व (राजनीतिक, खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, समाजसेवी इत्यादि)।

ब. सामान्य गणित (म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं कक्षा के समकक्ष) – पूर्णांक–20

स. राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के अन्तर्गत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न – पूर्णांक–25

द. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत कृषि स्नातक पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न – पूर्णांक–25

ई. मौसम विज्ञान एवं कृषि अभियांत्रिकी :– – पूर्णांक–10

1. विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं, लघु सिंचाई, तालाब, परकोलेशन टैंक, फार्म पौंड निमार्ण का उद्देश्य, डिजाईन, पक्की संरचना निर्माण में लगने वाली सामग्री (रेत, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर आदि) की गणना, गुणवत्ता निर्धारण एवं आंकलन करना।
2. मौसम एवं फसलों का संबंध, सूखा (अकाल), बाढ़, ठंडी हवाएँ और पाला के लिये मौसम विज्ञान, बादलों के प्रकार तथा मौसम के पूर्वानुमान का फसल उत्पादन पर प्रभाव।
3. सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं सिद्धांत, कंटूरिंग एवं प्रक्षेत्र विकास, भूमि क्षमता वर्गीकरण, प्रक्षेत्र मशीनें एवं उपकरण, बैल चलित एवं शक्ति चलित कृषि यंत्र, पौध रोपणी तैयार करना, भूमि सुधार, बुआई तथा अंतर शस्य क्रियाओं के लिये तंत्र एवं उपकरण, पौध संरक्षण यंत्र, कटाई तथा गहाई के लिये मशीनें, मशीनें एवं उपकरणों की देखभाल।

———0———

प्रारूप–1
(देखें नियम 2.15)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....

स्थान .....
दिनांक .....

प्रारूप–2
(देखें नियम 2.16)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक ..... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक .....